

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./कार्य व्यवस्था/2018/ 4008 जयपुर,दिनांक: 31/10/19

:: आदेश ::

श्री अब्दुल हकीम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर) को विभागीय आदेश क्रमांक 1948 दिनांक 01.06.2015 द्वारा कार्य व्यवस्थार्थ पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर लगाया गया था।

श्री अब्दुल हकीम, पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय आदेश क्रमांक 3170 दिनांक 29.09.2019 द्वारा पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर) से पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) में स्थानान्तरण/पदस्थापन कर दिया गया है।

अतः श्री अब्दुल हकीम, पंचायत प्रसार अधिकारी को तत्काल पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर) के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (विधि), मुख्यालय।
3. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांभरलेक/सांगानेर (जयपुर)।
6. श्री अब्दुल हकीम, पंचायत प्रसार अधिकारी, हॉल कार्य व्यवस्थार्थ, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय को पालनार्थ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त